माननीय—जवाहर लाल गुप्ता, जे., के समक्ष

पूरन सिंह, -याचिकाकर्ता,

बनाम

पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन

एंड रिसर्च चंडीगढ़ और एक अन्य, -उत्तरदाता।

Civil Writ Petition No. 3778 *of* 1985

13 सितंबर, 1991।

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) *नियम,* 1972-आर. *एल.* 74-सेवानिवृत्ति *की* आयु -58 *वर्ष पूरा करने वाला* कर्मचारी-निर्धारित *अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं होता है तो वह सेवानिवृत्ति की आयु को प्रभावित नहीं करता है-ऐसे आदेशों का उद्देश्य सार्वजनिक या सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के तथ्य के बारे में जागरूक करना है।*

अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है। जब तक सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है और जब तक कि उस नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति स्वचालित है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह नियम 74 किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा कार्यकाल को स्वचालित रूप से बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है। नियम का मतलब यह नहीं है कि जब तक सेवानिवृत्ति अधिसूचित नहीं की जाती या कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक अधिकारी सेवा में बना रहता है। मेरे विचार में इस नियम का उद्देश्य केवल जनता या सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के तथ्य से अवगत कराना है। नियम किसी है। सिविल सेवक को भी अधिकार प्रदान नहीं करता। मेरे विचार में, याचिकाकर्ता इस नियम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप, यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता ने 30 सितंबर, 1984 तक संस्थान में सेवा जारी रखी, जब वह 58 वर्ष का हो गया।

(पैरा 11 और13)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दूसरी संशोधित सिविल रिट याचिका में इस मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब करने के बाद यह अनुरोध किया गया है कि,—

(a) अनुलग्नक पी-34 और पी-35 में विवादित आदेशों के प्रतिकूल प्रभाव वाले हिस्से को रद्द करते हुए सरशियोरेराई का एक रिट कृपया जारी किया जाए।

(b) अधिकारियों को 1 1982 अप्रैल से सेवानिवृत्ति के आदेश तक संभावित तिथि के साथ अवशिष्ट वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाए।

(c) अधिकारियों को कृपया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उसे याचिका में उल्लिखित तिथियों से चयन श्रेणी और उपाधीक्षक और अधीक्षक के पदोन्नत पदों का लाभ देने का निर्देश दिया जाए।

(d) अधिकारियों को कृपया 18 प्रतिशत पी. ए. की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, वेतन अवशिष्ट/ किसी भी प्रकार के अन्य लाभों को रोके जाने से लेकर उनके याचिकाकर्ता के पक्ष में भुगतान किए जाने की तारीख तक।

(e) चूंकि यह याचिकाकर्ता के लिए अत्यधिक उत्पीड़न का मामला है और उसे लगभग एक दशक से लगातार मानसिक तनाव/ यातना के तहत रखा गया है और अधिकारियों के मनमाने कार्यों ने याचिकाकर्ता को परेशान कर दिया है और याचिकाकर्ता मानसिक रूप से परेशान हो गया है, इसलिए इस माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुकरणीय हर्जाना देने का आदेश दिया जाए ताकि अधिकारी संस्थान के किसी अन्य कर्मचारी के साथ इस घटना को दोहरा न सकें।

(f) अधिकारियों को कृपया निर्देश दिया जाए कि वे वेतन/ लाभों आदि के उपरोक्त अवशिष्ट का भुगतान लगभग एक महीने की कम से कम अवधि के भीतर करें ताकि याचिकाकर्ता अपने जीवन काल के दौरान ब्याज के साथ अपने हकदार वेतन ले सके।

(g) अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे एक महीने के भीतर तुरंत पेंशन लाभ जारी करें और इस संबंध में कोई शर्त लगाए बिना मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान आदि जैसे सभी पेंशन लाभों के साथ संभावित आदेश पारित करें।

(h) जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है।

(i) अनुलग्नक पी-1 से पी-31 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने और

प्रतिवादी को पूर्व सूचनाओं की सेवा कृपया प्रदान करने से राहत दी जाए।

(j) इस रिट याचिका को कृपया लागत के साथ स्वीकार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से आर. के. गौतम अधिवक्ता के. *एल. अरोड़ा,* अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए श्री अरुण नेहरा, एस. एस. राठौर, अधिवक्ताओं *के साथ* डी. एस. नेहरा।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

याचिकाकर्ता, जो मूल रूप से शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रतीत होता है, को 5 अक्टूबर, 1966 को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (इसके बाद इसे 'संस्थान' के रूप में संदर्भित किया गया) में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति पंजाब अधीनस्थ सेवा आयोग के 12 अप्रैल, 1982 के आदेशों की सिफारिशों पर की गई थी, जिसमें संस्थान ने याचिकाकर्ता को शिक्षा अपार्टमेंट, हरियाणा, चंडीगढ़ में वापस भेजने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता को 3 मई, 1982 को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यावर्तन का आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता हरियाणा शिक्षा विभाग का स्थायी कर्मचारी था। याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश चंडीगढ़ की अदालत में प्रत्यावर्तन के इस आदेश को चुनौती दी। 30 अगस्त, 1984 को घोषित किया गया कि उनका प्रत्यावर्तन पूरी तरह से अवैध था। संस्थान द्वारा दायर अपील को जिला न्यायाधीश ने 8 सितंबर, 1986 को बर्खास्त कर दिया था।

(2) दीवानी अदालत के फैसले के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को 27 सितंबर, 1984 को हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मुक्त कर दिया गया था।उन्होंने 28 सितंबर, 1984 को संस्थान में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की।उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को फैसले की प्रमाणित प्रति जमा करने के लिए कहा गया।अंततः, काफी लंबे समय के बाद, संस्थान के निदेशक ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए 12 अगस्त, 1987 को एक आदेश पारित कियाः—

"यह निर्णय लिया गया है कि सहायक श्री पूरन सिंह को न्यायालय के आदेश के अनुसार इस संस्थान का कर्मचारी माना जाएगा और वह 30 सितंबर, 1984 से सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।अतः वह हो सकता हैः—

(i) अधिकतम के बराबर अस्थायी पेंशन का भुगतान जो सी. सी. एस. के नियम 9 और नियम 69 के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख तक योग्यता सेवा के आधार पर स्वीकार्य होती। (पेंशन) नियम, 1972;

(ii) सी. सी. एस. के नियम 69 (आई) (सी) के तहत कार्यवाही के समापन और अंतिम आदेश जारी होने के बाद मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान देय होगा। (पेंशन) नियम।

(iii) अधिकारी सी. सी. एस. के नियम 4 के तहत कार्यवाही के समापन और अंतिम आदेश जारी होने तक अस्थायी पेंशन के परिवर्तन के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा। (पेंशन का परिवर्धन) नियम।

(iv) बकाया प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद छुट्टी नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि सी. सी. एस. के नियम 39 (3) के तहत कार्यवाही के समापन पर श्री पूरन सिंह से सरकारी धन की वसूली की कोई संभावना नहीं है। (छुट्टी) नियम।

(v) शुल्क अवधि के लिए वेतन/मजदूरी या 30 सितंबर, 1984 से पहले की अवधि के लिए स्वीकृत छुट्टी का भुगतान भी बकाया प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।"

(3) इसके बाद, उपरोक्त की निरंतरता में, *27* अगस्त, 1987 (अनुलग्नक पी. 35) के आदेशों के अनुसार, यह आदेश दिया गया था कि "मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब श्री पूरन सिंह, सेवानिवृत्त सहायक को सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 68 में निहित सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही के समापन पर दोषमुक्त कर दिया जाता है।"

(4) याचिकाकर्ता का कहना है कि संस्थान के निदेशक के पास उन्हें पूर्वव्यापी रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।वह आगे वेतन, पेंशन, उपदान और आगे की पदोन्नति आदि अवशिष्ट का दावा करता है, जो उस तारीख से प्रभावी है जब उससे छोटे व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था।

(5) प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान अन्य बातों के साथ साथ, यह *अन्य बातों के* साथ-साथ कहा गया है कि पीजीआईएमईआर विनियम, 1967 के मौलिक नियमों और विनियम 37 (i) के नियम 56 (ए) के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।यह माना जाता है कि इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता 30 सितंबर, 1984 से स्वतः ही सेवानिवृत्त हो गया था, जब वह 58 वर्ष का हो गया था।यह भी कहा गया है कि संस्थान 4 मई, 1982 से 27 सितंबर, 1984 तक की अवधि के वेतन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जब याचिकाकर्ता वास्तव में शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहा था।यह भी कहा गया है कि "याचिकाकर्ता को उपाधीक्षक के पद पर काल्पनिक पदोन्नति और सहायक के कैडर में चयन ग्रेड देने के मामले पर विभागीय कार्यवाही के पूरा होने पर विचार किया जाएगा।याचिकाकर्ता

से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को 30 सितंबर, 1984 (याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त कर चुका था) से पहले अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। ।" यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 5 अगस्त, 1978 को एक आरोप-पत्र जारी किया गया था जिसे 17 मई, 1979 को वापस ले लिया गया था।इसके बाद 18 मई, 1979 को एक नया आरोप-पत्र जारी किया गया था।जाँच की कार्यवाही अभी भी लंबित थी और इसे देखते हुए, पेंशन के परिवर्तन और उपदान के भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।यह मोटे तौर पर उपरोक्त परिसरों में है कि याचिकाकर्ता के दावे को चुनौती दी गई है।

(6) याचिकाकर्ता ने एक प्रतिकृति दायर की है; जिसअन्य बातों के साथ *साथ यह* अन्य बातों के साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1982 अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा विभाग अन्य बातों के साथ साथ वापस किए जाने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं दिया गया है।इसके अलावा, यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के आदेश को विधिवत पारित और अधिसूचित किया जाना चाहिए, और चूंकि वर्ष 1987 तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने वाला माना जाना चाहिए और सभी परिणामी लाभ दिए जाने के योग्य होना चाहिए।

(7) मैंने याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री के. एल. अरोड़ा और प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण नेहरा को सुना है।श्री अरोड़ा ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में 12 अगस्त, 1987 तक सेवा में रहा था जब संलग्नक पी. 34 में आदेश पारित किया गया था।इस आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि उन्हें उस तारीख तक संस्थान के रोजगार में माना जाना चाहिए और उसी आधार पर जिम को सभी सेवा लाभ दिए जाने चाहिए।यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को उस तारीख से पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है जब उससे छोटे व्यक्ति को चयन ग्रेड दिया गया था और आगे उप अधीक्षक और अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था।इसके अलावा,याचिकाकर्ता ने 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्ति लाभों का दावा किया है।दूसरी ओर, श्री अरुणःप्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता नेहरा ने तर्क दिया है कि नियमों के तहत, एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है।नतीजतन, याचिकाकर्ता को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए।याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अन्य दावों का भी खंडन किया गया है।श्री नेहरा ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही एक साल से अधिक समय पहले हटा दी गई थी।

(8) अधिवक्ता श्री अरोड़ा का कहना है कि पूर्वव्यापी सेवानिवृत्ति का कोई आदेश नहीं हो सकता है।उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 74 पर भरोसा किया है कि सेवानिवृत्ति की तारीख को विधिवत अधिसूचित किया जाता है या कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, अधिकारी/कर्मचारी सेवा में बने रहते हैं।

(9) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि एक अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है।जब तक सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है और जब तक कि उस नियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति स्वचालित है।वर्तमान मामले में, सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाला कोई नियम मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है।श्री अरोड़ा प्रस्तुत करते हैं कि नियम सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में पुनः नियुक्ति/विस्तार की अनुमति देते हैं।ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।एक विशिष्ट नियम और आदेश की अनुपस्थिति में में, मेरा विचार है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख को सेवानिवृत्त माना जाएगा।नतीजतन, याचिकाकर्ता को 30 सितंबर, 1984 से सेवा से सेवानिवृत्त होने के रूप में मानने में प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से ठीक है।

(10) श्री अरोड़ा का तर्क, हालांकि, पेंशन नियमों के नियम 74 पर निर्भर हैं।यह नियम इस प्रकार हैः—

"74. *अधिसूचित की जाने वाली सेवानिवृत्ति की तारीखः—*

जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता हैः—

(a) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना, और

(b) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में ऐसी तिथि के एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख निर्दिष्ट करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति, जो भी मामला हो, तुरंत लेखा अधिकारी को भेजी जाएगीः

बशर्ते कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी देने के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना या कार्यालय आदेश, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाता है, वहां एक और अधिसूचना या कार्यालय आदेश जो सरकारी कर्मचारी के पास है वास्तव में ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक कि छुट्टी में कटौती नहीं की जाती है और सेवानिवृत्ति किसी भी कारण से पूर्व-दिनांकित या स्थगित नहीं की जाती है।"

(11) मेरे विचार में, यह नियम किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा कार्यकाल को स्वचालित रूप से बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है।नियम का मतलब यह नहीं है कि जब तक सेवानिवृत्ति अधिसूचित नहीं की जाती या कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक अधिकारी सेवा में बना रहता है।मेरे विचार में इस नियम का उद्देश्य केवल जनता या सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के तथ्य से अवगत कराना है।नियम सिविल सेवक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।मेरे विचार में, याचिकाकर्ता इस नियम से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

(12) वर्ष 1982 से 30 सितंबर, 1984 तक वेतन अवशिष्ट के लिए याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार किया जाना चाहिए।उन्होंने शिक्षा विभाग से कोई वेतन नहीं लिया था।4 मई, 1982 से 30 सितंबर, 1984 तक की अवधि के लिए अवशिष्ट का भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाएगा।पदोन्नति आदि के विचार के लिए याचिकाकर्ता का दावा उस तारीख से पदोन्नत भी उतना ही, जितना उस तारीख से प्रभावी है जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत

किया गया था।

(13) परिणामस्वरूप, यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता ने 30 सितंबर, 1984 तक संस्थान में सेवा करना जारी रखा । इसके बाद इससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभ, अर्थात्, वेतन अवशिष्ट का भुगतान, उसके कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किए जाने की तारीख/तिथियों से प्रभावी पदोन्नति के अनुदान के लिए विचार, परिवर्त्तन और पेंशन और उपदान भी जारी होगा। चूंकि मई 1982 से अब तक याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं होने के कारण सभी लाभ रोक दिए गए थे, इसलिए वह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ उन सभी बकाया राशि के भुगतान का हकदार होगा।याचिकाकर्ता के सभी मौद्रिक अवशिष्ट, जैसे वेतन का अवशिष्ट, पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, आदि के साथ-साथ वेतन में अंतर जो पदोन्नति अनुदान आदि के कारण देय हो सकता है, का भुगतान संस्थान द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर याचिकाकर्ता को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाएगा।याचिकाकर्ता को अपनी लागत का भी हकदार माना जाता है, जिसका आकलन रु 3, 000 है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाण